an>

Title: Need to set up a division bench of Allahabad High Court at Western Uttar Pradesh (Agra district).

श्री बाबूलाल चौधरी (फतेहपुर सीकरी) : अध्यक्ष जी, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। इलाहबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ की स्थापना को ले कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता, वकील सभी लोग 30-35 साल से आंदोलित हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 1981 में एक पत्र लिख कर भारत सरकार से अनुरोध किया था। उसके बाद वर्ष 1986 में भारत सरकार ने जसवंत सिंह आयोग का गठन किया। उस गठन के आधार पर आगरा को सर्वोच्च स्थान मानते हुए उच्च न्यायालय की स्थापना की मांग की गई। वर्ष 1986 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राज्यसभा में एक प्रश्न पूछा था। उसमें भारत सरकार ने आश्वासन दिया था कि इसे जल्दी आगरा में लागू किया जाएगा, लेकिन आज तक उच्च न्यायालय के खंड पीठ की स्थापना नहीं हुई है। आयोग ने आगरा को सर्वोच्च स्थान मानते हुए सिफारिश की है , मेरा आपसे अनुरोध है कि जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए, जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को राहत मिल सके, क्योंकि, पांच-छह सौ किलोमीटर दूर वादकारियों को जाना पड़ता है जिससे बहुत समय और पैसे की बरबादी होती है। मेरा आपसे अनुरोध है कि जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट को तुरंत लागू किया जाए तथा आगरा में ही खण्डपीठ की स्थापना की जाए।